न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 03/2017

दर्ज तिथि :– 06.01.2017

श्री श्यामलाल पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मोठा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़
2. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़।
3. सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. भागीरथ पिता शम्भुलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मोठा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
5. जयनारायण पिता मोतीलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मोठा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
6. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा, निम्बाहेड़ा।

.....अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री बाबुलाल पाटीदार
अप्रार्थी अधिवक्ता क्रमांक 4 व 5 :– इन्दरलाल भांबी
एवं पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 10.04.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वाके ग्राम मोठा, पटवार हल्का, अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न है:–

साबिक आराजी नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा	नवीन आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
66/1 मी	1.00	197	0.25
66/1	1.08		0.36
66/2	1.08	198	0.35

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:05:36 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उपरोक्त आराजियात में से क्रमशः आ.नं. 66/1 मी. रकबा 1 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 197 रकबा 0.25 हैक्टेयर बने वह प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है,

आराजी नम्बर 66/1 नये आराजी नम्बर 199 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि श्री भागीरथ पिता शम्भुलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा आ.नं. 66/2 जिसके नये आ.नं. 198 रकबा 0.35 हैक्टेयर है वह श्री जयनारायण पिता मोतीलाल ब्राह्मण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है, ये तीनों ही आराजियात पुराने राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण के रूप में अंकित थी यानि उत्तर दिशा मे सबसे उपर आ.नं. 66/1 मी व उसके नीचे दक्षिण में लगती हुई आ.नं. 66/1 व उसके नीचे दक्षिण में आ.नं. 66/2 दर्ज थी जिनका रकबा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज था तथा इसी आराजी का भाग आ.नं. 66/मी/1/1 रकबा 13 बिस्वा भूमि जिसके नवीन आ.नं. 201 रकबा 0.16 हैक्टेयर है जो लोक निर्माण विभाग को अवाप्त हुई तथा आ.नं. 574/66 रकबा 17 बिस्वा नहर हेतु सिंचाई विभाग के नाम दर्ज हुई जिसके नये आ.नं. 200 रकबा 0.22 हैक्टेयर है ये दोनों ही आराजियात प्रार्थी की आ.नं. 66/1मी की आराजी की उत्तरी मेड से पूर्व से पश्चित लम्बाई से लगी हुई अवाप्त हुई थी। और ये दोनों ही आराजी नम्बर 200 एवं 201 समानान्तर पूर्व से पश्चिम लम्बाई मे अवाप्त हुई और उसी अनुसार नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन हुई हैं और आ.नं. 200 के दक्षिणी मेड जो कि पूर्व से पश्चिम लम्बाई तक के नीचे उत्तरी तरफ प्रार्थी की पुरानी आ.नं. 66/1मी राजस्व नक्शे में दर्ज थी और इसी अनुसार नवीन राजस्व नक्शे में भी प्रार्थी की नवीन आ.नं. 197 रकबा 0.25 हैक्टेयर का रकबा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था, परन्तु सेटलमेन्ट कमेटी ने नये राजस्व नक्शे में उक्त आराजियात का अंकन पश्चिम से पूर्व की ओर लम्बाई मे नहीं करके उत्तर से दक्षिण चौडाई में अंकन कर दिया जो कि गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी नं. 66/1 मी जिसके नवीन आ.नं. 197 रकबा 0.25 हैक्टेयर हैं उसका अंकन मौके पर काबिज अनुसार पूर्वानुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा पूर्ववत दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी श्यामलाल की साबिक आ.नं. 66 मी उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में स्थित थी। इसके दक्षिण में लगती हुई जयनारायण की आराजी नम्बर 66/1 स्थित थी तथा इसके नीचे दक्षिण में भागीरथ की आ.नं. 66/2 थी। उक्त तीनों आराजियात के नवीन आराजी नम्बर क्रमशः 197, 199 एवं 198 बने होकर वर्तमान नक्शे में उत्तर से दक्षिण दिशा में तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थी की वर्तमान आराजी नम्बर को राजस्व नक्शे में पूर्व की भांति तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:36 IST
Reason: SelfAttested

5. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है :—

तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में [illegible] अशुद्धि को दुरूस्त करने के लिए श्री श्यामलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण के नाम उत्तर दिशा में आ.नं. 197 में से 0.09 हैक्टेयर, आ.नं. 198 में से 0.08 हैक्टेयर एवं आ.नं. 199 में से 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि, श्री जयनारायण पिता मोतीलाल ब्राह्मण सा.देह के नाम मध्य में आ.नं. 197 में से रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ.नं. 198 में से रकबा 0.09

हैक्टेयर एवं आ.नं. 199 में से रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर तथा श्री भागीरथ पिता शम्भुलाल ब्राह्मण सा.देह के नाम दक्षिण में आ.नं. 198 में से कबा 0.18 हैक्टेयर, आ.नं. 199 में से रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि एवं श्री श्यामलाल पिता भंवरलाल, जयनारायण पिता मोतीलाल, भागीरथ पिता शम्भुलाल ब्राहगण सा. देह के नाम आ.नं. 199 दक्षिण रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पूर्व रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मोठा, पटवार मण्डल अरनिया जोशी की आ.नं. 197 (उत्तर) में से रकबा 0.09 है., आ.नं. 198 (उत्तर) में से रकबा 0.08 है., आ.नं. 199 (उत्तर) में से रकबा 0.07 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर श्री श्यामलाल पिता भंवरलाल ब्राह्मण सा.देह के नाम, आ. नं. 197 (दक्षिण) में से 0.16 है., आ.नं. 198 (मध्य) रकबा 0.09 एवं आ.नं. 199 (मध्य) में से रकबा 0.09 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 है. भूमि श्री जयनारायण पिता मोतीलाल ब्राह्मण सा.देह के नाम रहन बदस्तुर तथा आ.नं. 198 (दक्षिण) में से रकबा 0.18 हैक्टेयर तथा आ.नं. 199 (दक्षिण) में से रकबा 0.18 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि श्री भागीरथ पिता शम्भुलाल ब्राह्मण सा.देह के नाम एवं आ.नं. 199 (आ.नं. 199 की पश्चिमी–उत्तरी मेड पर रास्ते हेतु) में से रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:36 IST
Reason: SelfAttested

श्यामलाल बनाम सरकार

03/2017

निर्णय दिनांक : 10.04.2023

श्री श्यामलाल पिता भंवरलाल 1/2 जयनारायण पिता मोतीलाल 1/2 ब्राह्मण सा.देह रहन बदस्तुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में संधारित करने के आदेश तहसीलदार निम्बाहेड़ा को दिये जाते हैं। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

10/4/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:36 IST
Reason: SelfAttested